L. A. BILL No. IX OF 2021.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PARAGANA AND KULKARNI WATANS (ABOLITION) ACT, THE MAHARASHTRA SERVICE INAMS (USEFUL TO COMMUNITY) ABOLITION ACT, THE MAHARASHTRA MERGED TERRITORIES MISCELLANEOUS ALIENATION ABOLITION ACT, THE MAHARASHTRA INFERIOR VILLAGE WATANS ABOLITION ACT AND THE MAHARASHTRA REVENUE PATELS (ABOLITION OF OFFICE) ACT, 1962.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०२१।

महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम, महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन अधिनियम और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) अधिनियम, १९६२ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम, महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन अधिनियम और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) अधिनियम, १९६२ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवे वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

सन् १९५० का महा. ६०। सन् १९५३ का ७०। सन् १९५५ का २२ । सन् १९५९ का १ । सन् १९६२ का ३५ ।

अध्याय एक

प्रारम्भिक।

संक्षिप्त नाम ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५० का ६० की धारा ४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (२) के तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५० का ६०।

" परंतु यह और भी कि, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण को या के पूर्व कोई ऐसा अधिभोग पहले से ही कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि की अदायगी के बिना, गैर-कृषिक उपयोग के लिए अन्तरित किया गया है, या गैर-कृषिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया है और ऐसी भूमि या प्लॉट का प्रखंड है या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियम, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " गुंठेवारी विकास अधिनियम " कहा गया है) के अधीन विनियमित किया जा रहा है, तब ऐसा अन्तरण गुंठेवारी विकास के विनियमन के लिए गुंठेवारी विकास अधिनियम के अधीन देय किसी रकम के अलावा ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समान रकम की अदायगी पर विनियमित किया जा सकेगा ; और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, संहिता के उपबंधों के अनुसरण में अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि या प्लॉट धारण करेगा । (सन् २०२१ का महा.। सन् २००१ का महा.२७।)

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " ऐसी भूमि का बाजार मूल्य " निबन्धन का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या सुसंगत वर्ष के लिए, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है, और जहाँ दरों के ऐसे वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिले के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है । " ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५३ का ७० की धारा ५ में संशोधन।

३. महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) के तृतीय परंतुक के पश्चात, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५३ का ७०।

" परंतु यह और भी कि, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण को या के पूर्व कोई ऐसा अधिभोग पहलेसे ही कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि की अदायगी के बिना, गैर-कृषिक उपयोग के लिए, अन्तरित किया गया है या गैर-कृषिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, और ऐसी भूमि या प्लॉट का प्रखंड है (सन् २०२१ का महा.।)

सन् २००१ का या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियम, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " गुंठेवारी
महा.२७। विकास अधिनियम " कहा गया है) के अधीन विनियमित किया जा रहा है, तब ऐसा अन्तरण, गुंठेवारी विकास के विनियमन के लिए गुंठेवारी विकास अधिनियम के अधीन देय किसी रक़म के अलावा ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समान रक़म की अदायगी पर विनियमित किया जा सकेगा ; और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, संहिता के उपबंधों के अनुसरण में अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि या प्लॉट धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए " ऐसी भूमि का बाजार मूल्य " निबन्धन का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या सुसंगत वर्ष के लिए, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है और जहाँ दरों का ऐसे वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिले के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है । " ।

अध्याय चार

महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५५ का २२ । **४.** महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ६ के पाँचवे परंतुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५५ का २२ की धारा ६ में संशोधन ।

" परन्तु यह और भी कि, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम
सन् २०२१ का महा.। वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण को या के पूर्व कोई ऐसा अधिभोग पहलेसे ही कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि की अदायगी के बिना, गैर-कृषिक उपयोग के लिए, अन्तरित किया गया है, या गैर-कृषिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, और ऐसी भूमि या प्लॉट का प्रखंड है या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियम, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " गुंठेवारी
सन् २००१ का महा. २७। विकास अधिनियम " कहा गया है) के अधीन विनियमित किया जा रहा है, तब ऐसा अन्तरण, गुंठेवारी विकास के विनियमन के लिए गुंठेवारी विकास अधिनियम के अधीन देय किसी रक़म के अलावा ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समान रकम की अदायगी पर विनियमित किया जा सकेगा ; और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, संहिता के उपबंधों के अनुसरण में, अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि या प्लॉट धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " ऐसी भूमि का बाजार मूल्य " निबन्धन का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या सुसंगत वर्ष के लिए, इस संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है और जहाँ दरों को ऐसे वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिले के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है । " ।

५. मूल अधिनियम की धारा ७ के खण्ड (३) के तृतीय परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५५ का २२ की धारा ७ में संशोधन ।

" परन्तु यह और भी कि, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन, महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम
सन् २०२१ का महा.। वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण को या के पूर्व कोई ऐसा अधिभोग पहलेसे ही कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि की अदायगी के बिना, गैर-कृषिक उपयोग के लिए, अन्तरित किया गया है या गैर-कृषिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया है और ऐसी भूमि या प्लॉट का प्रखण्ड है
सन् २००१ का महा. २७। या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियम, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " गुंठेवारी विकास अधिनियम " कहा गया है) के अधीन विनियमित किया जा रहा है, तब ऐसा अन्तरण, गुंठेवारी विकास के विनियमन के लिए गुंठेवारी विकास अधिनियम के अधीन देय किसी रकम के अलावा ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समान रकम की अदायगी पर विनियमित किया जा सकेगा ; और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, संहिता के उपबंधों के अनुसरण में, अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि या प्लॉट धारण करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " ऐसी भूमि का बाजार मूल्य " निबन्धन का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या सुसंगत वर्ष के लिए, इस संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है, और जहाँ दरों का ऐसे वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिले के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है । " ।

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन अधिनियम में संशोधन ।

सन् १९५९ का १ की धारा ५ में संशोधन ।

६. महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन अधिनियम की धारा ५ के, उप-धारा (३) के तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५९ का १।

" परन्तु यह और भी कि, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण को या के पूर्व कोई ऐसा अधिभोग पहलेसे ही कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि की अदायगी के बिना, गैर-कृषिक उपयोग के लिए, अन्तरित किया गया है, या गैर-कृषिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, और ऐसी भूमि या प्लॉट का प्रखंड है या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियम, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " गुंठेवारी विकास अधिनियम " कहा गया है) के अधीन विनियमित किया जा रहा है, तब ऐसा अन्तरण, गुंठेवारी विकास के विनियमन के लिए गुंठेवारी विकास अधिनियम के अधीन देय किसी रकम के अलावा ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समान रकम की अदायगी पर विनियमित किया जा सकेगा ; और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, संहिता के उपबंधों के अनुसरण में अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि या प्लॉट धारण करेगा । (सन् २०२१ का महा.।) (सन् २००१ का महा. २७।)

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए " ऐसी भूमि का बाजार मूल्य " निबन्धन का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या सुसंगत वर्ष के लिए, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है और जहाँ दरों का ऐसे वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिले के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है । "।

अध्याय छह

महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) अधिनियम, १९६२ में संशोधन ।

सन् १९६२ का महा. ३५ की धारा ५ में संशोधन ।

७. महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) अधिनियम की धारा ५ के, उप-धारा (३) के तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ३५।

" परन्तु यह और भी कि, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन), महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय के लिए उपयोगी) उत्सादन महाराष्ट्र विलायित राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन, महाराष्ट्र निम्नतर ग्राम वतन उत्सादन और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पद का उत्सादन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ के प्रारम्भण को या के पूर्व कोई ऐसा अधिभोग पहलेसे ही कलक्टर या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना, ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समान राशि की अदायगी के बिना, गैर-कृषिक उपयोग के लिए, अन्तरित किया गया है, या गैर-कृषिक उपयोग के लिए उपयोग किया गया है, और ऐसी भूमि या प्लॉट का प्रखंड है या महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियम, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " गुंठेवारी विकास अधिनियम " कहा गया है) के अधीन विनियमित किया जा रहा है, तब ऐसा अन्तरण, गुंठेवारी विकास के विनियमन के लिए गुंठेवारी विकास अधिनियम के अधीन देय किसी रकम के अलावा ऐसी भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समान रकम की अदायगी पर विनियमित किया जा सकेगा ; और ऐसी अदायगी पर अधिभोगी, संहिता के उपबंधों के अनुसरण में अधिभोगी वर्ग-एक के रूप में भूमि या प्लॉट धारण करेगा । (सन् २०२१ का महा.।) (सन् २००१ का महा. २७।)

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए " ऐसी भूमि का बाजार मूल्य " निबन्धन का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्टाम्प (सम्पत्ति के सही बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ या सुसंगत वर्ष के लिए, इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमों के उपबंधों के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट ऐसी भूमि के मूल्य से है और जहाँ दरों का ऐसे वार्षिक विवरण तैयार या उपलब्ध नहीं है तो संबंधित जिले के नगर योजना विभाग के सहायक निदेशक द्वारा यथा अवधारित ऐसी भूमि के मूल्य से है । " ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र राज्य में, निम्न इनाम और वतन उत्सादन अधिनियम प्रवृत्त है,—

१. महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम (सन् १९५० का ६०),

२. महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय को उपयोगी) उत्सादन अधिनियम (सन् १९५३ का ७०),

३. महाराष्ट्र विलीन राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम (सन् १९५५ का २२),

४. महाराष्ट्र निम्नतर ग्रामवतन उत्सादन अधिनियम (सन् १९५९ का १) और

५. महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पदों का उत्सादन) अधिनियम, १९६२ (सन् १९६२ का महा. ३५)।

२. उपर्युक्त सभी अधिनियम **अन्य बातों के साथ-साथ** सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना भूमि (महार वतन अपवर्जित करके) के अंतरण विनियमित करने के लिए उपबंध करते हैं। तद्नुसार, अकृषक प्रयोजन के लिए अंतरित भूमियों में ऐसे अनर्जित आय पर जुर्माने के पचास प्रतिशत के अलावा अनर्जित आय के रूप में भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत की अदायगी विनियमित है। ऐसी रकम का भूगतान करने के पश्चात्, अधिभोगी, अधिभोगी वर्ग-१ के रूप में भूमि धारित करता है।

३. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (विनियमन, उन्नयन और नियंत्रण) अधिनियम, २००१ (सन् २००१ का महा. २७) (जिसे इसमें आगे, "गुंठेवारी अधिनियम" कहा गया है), गुंठेवारी के तौर पर भूमि विक्रय पर संनिर्माण विनियमित करने के लिए राज्य में अधिनियमित किया गया है।

४. गुंठेवारी के अधीन विकास विनियमित करते समय, गुंठेवारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विहित प्रशमित फीस और विकास प्रभार वसूलनीय है। इसके अतिरिक्त में यह कि यदि, गुंठेवारी के अधीन भूमि वतन या इनाम भूमि हैं, तब ऐसे वतन या इनाम भूमि के अवैध अंतरण के विनियमन के लिए उसके मूल्यांकन के पचहत्तर प्रतिशत प्रभारित होता है।

५. ऐसे इनाम या वतन भूमि पर गुंठेवारी विनियमित करते समय इनाम और वतन उत्सादन अधिनियमों के अधीन, अनर्जित साथ और उद्ग्रहित जुर्माने की रकम कम करने की माँग हो रही है। इसलिए, सरकार, ऐसे इनाम या वतन भूमि पर गुंठेवारी विनियमित करते समय दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार अनर्जित आय और ऐसे इनाम या वतन भूमि के मूल्यांकन के पच्चीस प्रतिशत के जुर्मान की कुल रकम कम करने के लिए उपबंध करना इष्टकर समझती है।

६. इसलिए, महाराष्ट्र परगना और कुलकर्णी वतन (उत्सादन) अधिनियम, महाराष्ट्र सेवा इनाम (समुदाय को उपयोगी) उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र विलीन राज्यक्षेत्र प्रकीर्ण अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम, महाराष्ट्र निम्मतर ग्रामवतन उत्सादन अधिनियम और महाराष्ट्र राजस्व पटेल (पदों का उत्सादन) अधिनियम, १९६२ में तद्नुसार, यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २९ जून २०२१।

बाळासाहेब थोरात,
राजस्व मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २९ जून २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.